**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1240**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**आई. सी. डी. एस. के अंतर्गत बच्चों के लिए ऊर्जा से भरपूर भोजन**

**1240. श्री एस. थंगावेलु:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या सरकार समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) योजना के अंतर्गत बच्चों को ऊर्जा से भरपूर भोजन-प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) : क्या आई. सी. डी. एस. के अंतर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति का प्रावधान प्रति वर्ष 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय है;

(ग) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) : क्या उक्त योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो गई है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक पोषण दिनांक 24.02.2009 को जारी पूरक पोषण के लिए संशोधित पोषण और फीडिंग मानकों के अनुसार लाभार्थियों के प्रदान किया जाता है । इन मानकों में 0 से 6 माह की आयु के बच्‍चों हेतु पूर्ण रूप से स्‍तनपान, 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्‍चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए सूक्ष्‍म पोषण तत्‍वों से संपुष्‍टिकृत और/अथवा ऊर्जा सम्‍पूरित भोजन के रूप में घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्‍चों के लिए दूध/केला/मौसमी फल आदि के रूप में सुबह का नाश्‍ता और गर्म पके भोजन का प्रावधान है ।

**(ख) और (ग) : पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) आईसीडीएस स्‍कीम के अंतर्गत उपलब्‍ध कराए जाने वाली एक सेवा है । वर्ष 2005-06 से, पूर्वोत्‍तर राज्‍यों को छोड़कर जहां लागत अनुपात भागीदारी 90:10 है इस कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के लिए 50:50 के लागत भागीदारी अनुपात में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं । वर्ष 2010-2013 के दौरान, आईसीडीएस लाभार्थियों को पूरक पोषण पर राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा 1026245.80 लाख रूपये, 1117615.07 लाख रूपये और 1183004.84 लाख रूपये (भारत सरकार के 50 प्रतिशत अंश सहित) व्‍यय किए गए ।**

**(घ) : जी, हां । आईसीडीएस के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक विधिक हक बन गया है । इस संबंध में राष्‍ट्रीय खा़द्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4, 5 और 6 प्रासंगिक हैं ।**

**\*\*\*\*\***